रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128/90 REGISTERED NO. D. (D.N.) 128/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 29, 1990/ अश्विन 7, 1912
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 29, 1990/ASVINA 7, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम, (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1990

सा.का.नि. 601—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग (समूह "ग") भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करने के लिए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, उत्तर पूर्वी परिषद् सचिवालय, शिलांग (ग्रुप "सी" और ग्रुप "डी" पद (भर्ती नियम, 1983 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उत्तर पूर्वी परिषद् सचिवालय, शिलांग (ग्रुप "सी" और ग्रुप "डी" पद) भर्ती नियम, 1983 की अनुसूची में,—

(1) स्तंभ 6 और उससे संबंधित शीर्ष के पश्चात् निम्नलिखित स्तंभ और शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं

6(क)"

(2) निजी सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने—

(i) स्तंभ 4 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"1640-60-2600-द.रो.-75-2900 रु."

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1990

सा.का.नि. 615.--संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा भारत के राजपत्र की अधिसूचना सा.का.नि. 952 (अ) (पृष्ठ 14) दिनांक 3 दिसम्बर 1987 में प्रकाशित प्रिंसिपल इंजीनियर के पद के भर्ती नियमों को रद्द करते हैं।

[फा.सं. ए-11015/1/87-पी ई-II]

दीपा भल्ला, अवर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 10th September, 1990

G.S.R. 615.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby rescinds the Recruitment Rules for the post of Principal Engineer published in the Gazette of India Notification GSR No. 952(E) (pp 14) dated 3rd December, 1987.

[F. No. A-11015/1/87/PE-II]

DEEPA BHALLA, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1990

सा.का.नि. 616 :--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी सिविल निर्माण में अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी सिविल निर्माण खंड (अधीक्षक) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या,--वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :--इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु
1	2	3	4	5	6	7
अधीक्षक	*13 (1990) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता सकता है।	समूह 'ग' साधारण केन्द्रीय सेवा अनु-सचिवीय (अराज-पत्रित)	1600-50-2300-द. रो 60-2660 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :)— केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी— (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं, या (ii) जिन्होंने 1400-2600 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 4 वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने 1400-2300 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 6 वर्ष नियमित सेवा की है। (प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अपेक्षित नहीं है।

[फा. सं. 12018/9/89-सी डब्ल्यू/सी(ए)]

कश्मीरी लाल, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 6th September, 1990

G.S.R. 616.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Superintendent in Civil Construction Wing, All India Radio, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the All India Radio, Civil Constuction Wing, (Superintendent) (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualificaton—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the persoinal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of the age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Superintendent	13* (1990)	Group 'C' General Central Service Ministerial (Non-Gazetted)	Rs. 1600-50-2300-EB-60-2660.	Not Applicable

*Subject to variation dependent on workload.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Whether educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation /transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods
9	10	11
Not Applicable	Not applicable	By transfer on deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grade from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Transfer on deputation : Officers of the Central Government : (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with 4 years' regular service in posts in the pay scale of Rs. 1400—2600 or equivalent; or (iii) with 6 years' regular service in posts in the pay scale of Rs. 1400—2300 or equivalent. Note : — The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years.	Not Applicable	Consultation with UPSC not required.

[F. No. A-12018/9/89 CW.I/B(A)]
KASHMIRI LAL, Under Secy.